28/4/25

पत्रावली पास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उपख. पढ़ अ. प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विक्रय रिपोर्ट अलग से शामिल किया। नियम से कर लो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2021/1

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.– 171/2021 GCMS:-2021/1 दायरा दिनाकः– 09.11.2021

भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी बिरधवाल हैड हाल 5 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. अलीशेर पुत्र पल्लेखां जाति मुस्लमान निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. कलावती पत्नी साहबराम
3. कृष्णादेवी पत्नी मदनलाल
4. चन्द्रवली पत्नी मनीराम
5. रामेश्वरी पत्नी मोहनलाल

(क्रमांक 2 से 5) जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6. पृथ्वीराज पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ताखरावाली 66 आर.बी. रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. बृजलाल पुत्र गिरधारी जाति ब्राहम्ण निवासी 66 आर.बी. रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
9. विमला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
10. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. भागीरथ बिश्नोई एडवोकेट प्रार्थी
2. भगवानदत शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी न. 2
3. प्रमेन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट अप्रार्थी न. 6
4. शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – अप्रार्थी न. 7

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 27.02.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुए। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने खाता विभाजन के दावा के साथ यह प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एव अप्रार्थी नं. 1 ता 9 के नाम से चक 5 एमसी के खाता नं. 75 पुराना खाता नं. 109 अलीशेर वगैरा के नाम से पत्थर नम्बर 54/64 (20) के किला नं. 2 ता 4, 6 ता 9, 12 ता 19, 23–24 मे 4.301 हैक. व पत्थर नं. 55/57 (25) के किला नं. 4 [illegible] ता 16 में 1.771 हैक. व पत्थर नं. 75/1 (24) के किला नं. 20–21/2 में 0.481 हैक. व पत्थर नं. 75/31 (76) के किला नं. 22/2 ता 25/1 में 0.912 हैक. व पत्थर नं. 75/32 (83) के किला नं. 2 ता 4 में 0.759 हैक. व पत्थर नं. 75/39 (75) के किला नं. 20, 21/2 में 0.468 हैक. इस प्रकार कुल 8.692 हैक. कमाण्ड एसएल रकबा है जिसमें प्रार्थी के नाम से 694/2173 हिस्सा यानी 11.00 बीघा रकबा घरेलू बंटवारा करने पर खाता विभाजन में चला आ रहा है ।प्रार्थी व अप्रार्थी का सांझा खाता है, काश्तकार ज्यादा है, रकबा कम है , इसलिये रकबा को सुधारने व डिग्गी इत्यादि बनाने व फव्वारा पद्धति लगाने मे दिक्कत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:40 IST
Reason: SelfAttested

–—लगातार पेज 2... पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसलिये प्रार्थी अपने हिस्सा व कब्जा काश्त का रकबा का खाता विभाजन अप्रार्थीगण से चाहता है। प्रार्थी के कब्जा में पत्थर नं. 54/64 (20) के किला नं. 4, 6, 7, 14 तां 17, 23, 24 में 2.277 हैक व पत्थर नं. 55/57 (25) के किला नं. 4, 7 में 0.506 हैक. इस प्रकार कुल 2.783 हैक. कमाण्ड रकबा है। शेष रकबा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी ने खाता विभाजन के लिये अप्रार्थीगण को कहा तो वो तहसील आने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी के रकबा में अप्रार्थी घुसने पर उतारू है वो अपने मकसद मे कामयाब हो गऐ तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी तरह से दखलदाजी ना तो स्वय करें व ना ही किसी अन्य से करवाये व रिकार्ड एव मौका की यथास्थिती बनाये रखे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनकर दिनांक 09.11.2021 को जैर प्रकरण 8.692 हैक. में से प्रार्थी के 2.783 हैक. हिस्सा के रकबा को रहन बैचान हस्तानातरण न करने का अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी आदेशो तक अप्रार्थीगण जारी की गई तथा अप्रार्थीगण को साधारण एवं रजिस्ट्रर्ड नोटिस से तलब किया गया अप्रार्थी नं. 1 व 7 ने जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के तथ्यो को इन्कार करतें हुऐ निवेदन किया कि जैर प्रकरण रकबा सभी सहखातेदार होने से एक सहखातेदार के खिलाफ रहन बेचान हस्तानातंरण का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती तथा प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा है इसलिए एक सहखातेदार के पक्ष में किसी विशेष किले जात का कब्जा नहीं माना जा सकता तथा सह खातेदारो के खिलाफ कब्जा काश्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही हो सकती इसलिये स्थगंन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थीगण ने जवाब नही दिया इस पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द कर पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के तथ्यो को दोहराते हूऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी टी.आई को स्थाई करने का निवेदन किया व अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हूऐ स्वीकार कर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. खारीज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी अनुसार चक 5 एम.सी. की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता न. 75/109 के 8.692 हैक. रकबा प्रार्थी एंव अप्रार्थी न. 1 ता 9 के नाम अलग–अलग हिस्सा में खातेदारी रकबा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सभी सहखातेदार है व प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के कब्जा काश्त में विशेष किलाजात का रकबा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एक सहखातेदार को उसके हिस्से के रकबा को रहन, बेचान हस्तानातरण से पाबन्ध नही किया जा सकता तथा ना ही सहखातेदारो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो सकती क्योकि प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है तथा रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध टी.आई. जारी करना भी उचित नही है इसलिये प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. [illegible] पूर्व में जारी स्थगंन खारिज करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त वि[illegible] के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955 खारिज किया जाता है [illegible] पूर्व में जारी स्थगंन दिनाक 09.11.2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में [illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।